आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.2.19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 255 / 2017–18

तेज नारायण मंडल, पिता–स्व0 अजब लाल मंडल, ग्राम–पोटरी, पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – आवेदक

बनाम

शंकर मंडल, पिता–स्व0 चेपटू मंडल, ग्राम–पोटरी, पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक तेज नारायण मंडल, पिता–स्व0 अजब लाल मंडल, ग्राम–पोटरी, पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण की भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 826 को रद्द करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2017 के आलोक में प्रारम्भ की गई। इस वाद को दिनांक 18.11.2017 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
पोटरी थाना नं0 126	105	419	21 डी0	826 बनाम शंकर मंडल

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खाता 105, खेसरा 419, रकवा 0.80 डी0 एवं खेसरा सं0 166, रकवा 29 डी0 भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान जुगो पासवान व धनी पासवान व निवी पासवान, पिता–कारे पासवान के नाम से बना। खतियानधारी से रामसेवक मंडल, पिता–स्व0 अजब लाल मंडल ने प्रश्नगत खेसरा 419 से रकवा 80 डी0 भूमि क्रय किया गया। आवेदक तेज नारायण मंडल ने प्रश्नगत भूमि क्रेता रामसेवक मंडल की पत्नी झबुरी देवी से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 534, दिनांक 24.01.1980 को क्रय किया गया। क्रय उपरांत नामान्तरण कराया गया और जमाबंदी सं0 472 दर्ज कराकर लगान रसीद भी प्राप्त किया गया। प्रश्नगत खेसरा में जमीन बची हुई नहीं थी, परन्तु हल्का कर्मचारी द्वारा गलत ढ़ंग से विपक्षी के नाम से खाता सं0 105, खेसरा 419, रकवा 0.21 डी0 भूमि का नामान्तरण कर अवैध ढ़ंग से जमाबंदी सं0 826 दर्ज दर्ज कर दिया गया है, जो रद्द होने योग्य है। जिसे रद्द करने

का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना हे कि प्रस्तुत वाद कानून की दृष्टि से निर्वहन योग्य नहीं है। यदि आवेदक को विपक्षी के नामान्तरण से किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन्हें नामान्तरण अपील में जाना चाहिए था न कि जमाबंदी रद्दीकरण में। यह सही है कि रामसेवक मंडल, पिता–अजब लाल मंडल वाद खेसरा से 80 डी0 भूमि दस्तावेज सं0 6482, दिनांक 28.10.1972 द्वारा क्रय किया गया था। वर्ष 1977 में रामसेवक की मृत्यु हो गई। वे अपने पिछे पत्नी झबुरी देवी तथा तीन नावालिग पुत्र एवं एक पुत्री क्रमशः नरेश मंडल, सुरेश मंडल, उमेश मंडल एवं पुत्री कचिया देवी को छोड़कर मृत हुए। विपक्षी शंकर मंडल ने रामसेवक मंडल के पुत्र सुरेश मंडल एवं उमेश मंडल से उनके हिस्से की भूमि वाद खेसरा से कुल 21 डी0 निबंधित दस्तावेज सं0 8158, दिनांक 19.08.2013 द्वारा क्रय किया गया तथा नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 826 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त कर रहें है तथा प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है।

आगे इनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि के कुल रकवा 80 डी0 पर रामसेवक मंडल के वारिसानों द्वारा आवेदकगणों के विरूद्ध प्रथम अवर न्यायाधिश, अररिया के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 25/2016 दाखिल किया गया है, जो लंबित है। इसलिये जबतक स्वत्व का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इस वाद में आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। साथ ही साथ रामसेवक मंडल के वारिसानों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 70/2014–15 भी दाखिल किया गया है, जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में लंबित है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वर्ष 1974 में खतियानी रैयत से क्रेता रामसेवक मंडल द्वारा कुल रकवा 80 डी0 क्रय की गई तथा उनकी पत्नी झबुरी देवी ने बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 534, दिनांक 24.01.1980 द्वारा आवेदक तेज नारायण मंडल को भूमि बिक्री की गई। आवेदक तेज नारायण मंडल द्वारा क्रय उपरांत नामान्तरण के पश्चात् जमाबंदी सं0 472 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त किया गया।

विपक्षी शंकर मंडल द्वारा प्रश्नगत खेसरा 419 में रकवा 21 डी0 भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 8158, दिनांक 19.08.2013 द्वारा रामसेवक मंडल के पुत्र सुरेश मंडल एवं उमेश मंडल से क्रय कर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 826 दर्ज कराया गया है। वर्त्तमान में रामसेवक मंडल के पुत्र नरेश मंडल, सुरेश मंडल एवं उमेश मंडल द्वारा प्रश्नगत भूमि रकवा 80 डी0 पर सब जज प्रथम, अररिया के न्यायालय में दिवानी वाद सं0 25/2016 दाखिल किया गया है, जिसमें आवेदक तेज नारायण मंडल भी पक्षकार है तथा दिवानी वाद सब जज प्रथम, अररिया के न्यायालय में लंबित है। साथ

ही साथ प्रश्नगत भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 70/2014–15 भी लंबित है।

चूँकि प्रश्नगत भूमि पर दिवानी वाद सं0 25/2016 सब जज प्रथम, अररिया के न्यायालय में लंबित है। अतः उक्त वाद के निष्पादन तक इस वाद की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/- अपर समाहर्त्ता, अररिया

ह0/- अपर समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 39/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 16/02/2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

M.I.C Aric